रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1994/भाद्र 28, 1916
No. 471] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1994/BHADRA 28, 1916

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1994

का. आ. 689(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 6 मई, 1994 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली पर दिनांक 8.3.94 को एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए सहारा इंडिया एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान वी टी-एस आई ए की दुर्घटना की जांच कर रहे जांच न्यायालय जिसके प्रमुख न्यायमूर्ति श्री वाई. के. सभरवाल हैं, की अवधि 30 नवम्बर, 1994 तक बढ़ाई जाती है ताकि न्यायालय अपनी जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर सके।

[सं० ए वी 15013/4/94—एस.एस.वी.]

पी. के. बैनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

(Deptt. of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1994

S.O. 689(E):—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 6th May, 1994 the period of the Court of Inquiry headed by Justice Y.K. Sabharwal, inquiring into the accident to Sahara India Airlines Boeing 737 aircraft VT-SIA, while engaged in a training flight at IGI airport, Delhi on 8-3-94, is extended upto 30th November, 1994, to enable the Court to complete its inquiry and submit its report to the Central Government.

[No. AV. 15013/4/94-SSV]
P. K. BANERJI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994